न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का भजारी बनाम बजरंग, राध्याकिशन, भोला, श्रवण गड़ियाकुंवर भजारी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या - 19/18/RA निर्णय दिनांक - 27-2-19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भजारी की आ.ख.न. 1225/0-78 कुल रकबा 0-78 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता में से 0-03 रकबे पर श्री बजरंग/राध्याकिशन/भोला/श्रवण S/O मनफूल ने पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनांक 1/6/18 पक्का मकान चबूतरा को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बजरंग राध्याकिशन भोला S/O श्रवण गड़ियाकुंवर निवासी भजारी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.खि.न. 1225/0-78 रकबा 0-03 में से .... रकबे किस्म गै0मु0रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 28 पैसे का 50 गुणा 14/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी भजारी भू.अ.निरी. दारौदा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार

कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. 6 को पालनार्थ

चस्मापदी नकल पेश हो

रा. नि. सं. 4 के पृष्ठ सं 40 क्रम सं 7

वर्ष 2018-19 ... राशि रु 14/-

की कायमी की गई

(हस्ताक्षर) 12/3/19

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसील ....